

प्रेस नोट

विभिन्न थाना क्षेत्रों से 03 वांछित अभि0गण तथा शांति व्यवस्था कार्यवाही के अन्तर्गत कुल 18 अभि0गण को गिरफ्तार करने के संबंध में

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं संकल्प शर्मा के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 27-10-2020 को थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 442/2020 धारा 279/337/304 भादवि से संबंधित 02 वांछित अभि0गण 1- आसिफ पुत्र हुसैन निवासी हिंदूपुरा खेड़ा थाना नखासा जिला संभल 2- आरिफ पुत्र इब्राहिम मोहल्ला सैफ खान सराय थाना कोतवाली संभल जिला संभल को गिरफ्तार किया गया । थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 296/2020 धारा 363/366 IPC से संबंधित एक अभियुक्त प्रभास सैनी पुत्र स्व0 श्री श्यामपाल निवासी मोहल्ला महाराज नगर थाना सिविल लाइन जनपद बदायूं को गिरफ्तार किया गया ।

शांति व्यवस्था अभियान के तहत थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा 02 अभि0गण 1- कुश पुत्र अनेक पाल सिंह ग्राम बरौर थाना वजीरगंज जिला बदायूं 2- निमेष चंद शर्मा पुत्र रामलाल निवासी ग्राम शिकरापुर थाना सिविल लाइन जिला बदायूं को गिरफ्तार किया गया । थाना मूसाझाग पुलिस द्वारा एक अभियुक्त धनसिंह पुत्र ओमपाल निवासी ग्राम नसरुल्लापुर थाना उझानी जनपद बदायूं को गिरफ्तार किया गया । थाना मूसाझाग पुलिस द्वारा एक अभि0 सुरेश पुत्र नक्षत्र पाल निवासी सुल्तानपुर थाना मूसाझाग बदायूं को गिरफ्तार किया गया । थाना हजरतपुर पुलिस द्वारा 02 अभि0गण 1.राम खिलाड़ी पुत्र रामबरन 2. बलवीर पुत्र लाखन निवासी गण ग्राम बक्सेना थाना हजरतपुर बदायूं को गिरफ्तार किया गया । थाना बिनावर पुलिस द्वारा 02 अभियुक्त 1- मनोहर लाल पुत्र सोनपाल तथा 2- बौद्ध राम पुत्र डाकन निवासी ग्राम कुंडला थाना बिनावर जिला बदायूं को गिरफ्तार किया गया । थाना कादरचौक पुलिस द्वारा 07 अभि0गण 1- सूरज पाल पुत्र श्यामलाल 2- विमलेश कुमार पुत्र लीलाधर 3- राजू पुत्र नेकराम 4- सविता पत्नी बदन सिंह उम्र निवासी गण ग्राम कटिन्ना बचरऊ थाना कादरचौक जनपद बदायूं 5-दिनेश पुत्र कृपाल 6-सुनीता पत्नी मेहताब 7- निर्मला पत्नी अरविंद निवासी गण ग्राम कटिन्ना वरचऊ थाना कादरचौक जनपद बदायूं को गिरफ्तार किया गया । थाना जरीफनगर पुलिस द्वारा 03 अभि0गण 1- वेद प्रकाश अजय पाल २-अनीता पत्नी वेद प्रकाश ३-दरबारी पुत्र गंगाराम निवासी गण ग्राम भोजीपुरा पावई थाना जरीफनगर बदायूं को गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार उपरोक्त का चालान अन्तर्गत धारा 151/107/116 सीआरपीसी करते हुए सम्बन्धित मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।

सोशल मीडिया सेल

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक

जनपद बदायूं ।